



प्रेस विज्ञप्ति

22/5/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने बसंत कुमार दास और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.05.2024 को आनंद कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता शाखा, ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स सिद्धार्थ स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद अग्रवाल और अन्य कथित तौर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले की कासिबेड़ा खदानों से लौह अयस्क के अवैध और अत्यधिक खनन में शामिल थे। ईडी ने 2023 में उनके संबंधित परिसरों पर तलाशी अभियान भी चलाया है। वे सरकारी खजाने को 21 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में शामिल थे और 35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में भी शामिल थे।

बाद में आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भुवनेश्वर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 22.05.2024 तक ईडी को हिरासत दे दी है।

आगे की जांच जारी है।